"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 अगस्त 2005—श्रावण 20, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-4/2003/1/एक.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष 35 श्रेणी के सेवाओं/पदों पर भरती के लिये "राज्य सेवा परीक्षा" नामक एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करने हेतु "राज्य सेवा परीक्षा नियम" समसंख्यक आदेश दिनांक 9 जून, 2003 से जारी किये गये हैं, उक्त "राज्य सेवा परीक्षा नियम" में पदों की श्रेणी क्रमांक 35 के पश्चात् क्रमांक 36 पर "अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी" एतद्द्वारा जोड़ा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.